

राजस्थान आबकारी (होटल बार/ क्लब बार अनुपित्यां प्रदाय) नियम, 1973 के अन्तर्गत होटल बार/ हैरिटेज होटल अनुज्ञापत्र हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत कराई जाने वाली सूचना एवं उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट :-

क्र. सं.	नाम विवरण	आवेदक द्वारा विवरण अंकित किया जावे	आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कराया जावे
1	होटल का नाम		
2	होटल का पूर्ण पता		
3	होटल स्वामित्व के प्रकार को दर्शाते दस्तावेज़:- A. एकल स्वामित्व—आवेदक की घोषणा B. पार्टनरशीप फर्म होने पर—फर्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र C. कम्पनी होने पर— Memorandum and Articles of Association,		
4	इकाई का स्वामित्व व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी के पक्ष में दर्शाते दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति		
5	इकाई की भूमि का कुल क्षेत्रफल		
6	इकाई का कुल निर्मित क्षेत्रफल		
7	1. स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/प्राधिकारी द्वारा होटल के लिए जारी अनुज्ञापत्र की छाया प्रति 2. जारीकर्ता कार्यालय का नाम 3. अनुज्ञापत्र क्रमांक व दिनांक		
8	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31. 03.2017 की पालना में प्रस्तावित इकाई की राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्ग से दूरी (मीटर में) एवं दूरी दर्शाते दस्तावेज /प्रमाण पत्र		
9	होटल इकाई में अवस्थित सभी कमरे, (Floorwise), पार्किंग व्यवस्था, बार व स्टोर तथा अतिरिक्त रेस्टोरेन्ट को दर्शाता ब्ल्यू प्रिन्ट मानचित्र		
10	होटल में उपलब्ध कमरों की संख्या	एसी कमरे सिंगल बेड 1. प्रथम तल पर 2. द्वितीय तल पर 3. तृतीय तल पर	नान एसी कमरे सिंगल बेड डबल बेड

	4. चतुर्थ तल पर			
	5. पंचम तल पर			
	6. बेसमेन्ट / अन्य तलों पर			
	कुल			
11	होटल में उपलब्ध अन्य कोई विशिष्टताएँ :-			
12	आवेदक का नाम मय पिता/पति नाम तथा पूर्ण पता			
13	आवेदक, आवेदन किये जाने हेतु अधिकृत होने से संबंधित टिप्पणी व दस्तावेज			
14	आवेदक का होटल से संबंध			
15	पूर्ण रूप (दिनांक सहित) से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र			
16	होटल के सितारा श्रेणी में वर्गीकरण के सम्बन्ध में आवेदक की टिप्पणी एवं दस्तावेज			
17	उक्त वर्गीकरण के संबंध में आवेदक का शपथ पत्र मूल			
18	सितारा श्रेणी/अवस्थिति/कमरों की उपलब्धता की दृष्टि से होटल बार आवेदन किया जा रहा है :- (संबंधित पर टिक करें)			
	A. सितारा श्रेणी होटल			
	1. पांच सितारा			
	2. चार सितारा			
	3. तीन सितारा			
	B. लग्जरी ट्रेन			
	C. हैरीटेज होटल			
	1. जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/माऊन्ट आबू/जैसलमेर की नगरीकरण सीमा ( <i>Urbanisable limit</i> ) में एवं कुम्भलगढ़ किला के 10 कि.मी. की परिधि क्षेत्र ( <i>Periphery</i> ) में निम्नलिखित तक कमरे रखने वाली हैरीटेज होटल			
	a) 10 कमरों तक			
	b) 11 से 25 कमरों तक			
	c) 25 कमरों से अधिक			
	2. अन्य संभागीय मुख्यालयों/जिला मुख्यालय/मिवाड़ी युआर्टी की नगरीकरण सीमा ( <i>Urbanisable limit</i> ) /रणकपुर मंदिर/रणथम्भोर नेशनल पार्क की 5 किमी की परिधि क्षेत्र ( <i>Periphery</i> ) में निम्नलिखित तक कमरे रखने वाली हैरीटेज होटल			
	a) 10 कमरों तक			
	b) 11 से 25 कमरों तक			
	c) 25 कमरों से अधिक			

<b>3. 1 एवं 2 के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में स्थित हैरीटेज होटल</b>		
a) 10 कमरों तक		
b) 11 से 25 कमरों तक		
c) 25 कमरों से अधिक		

**D. अन्य होटल**

1. जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/माउन्ट आबू/जैसलमेर की नगरीकरण सीमा (Urbanisable limit) में एवं कुम्भलगढ़ किला के 10 कि.मी. की परिधि क्षेत्र (Periphery) में निम्नलिखित तक कमरे रखने वाली होटल

a) 50 कमरों तक		
b) 51 से 100 कमरों तक		
c) 100 कमरों से अधिक		

2. अन्य संभागीय मुख्यालयों/जिला मुख्यालय/भिवाड़ी युआईटी की नगरीकरण सीमा (Urbanisable limit) /रणकपुर मंदिर/रणथम्भोर नेशनल पार्क की 5 कि.मी की परिधि क्षेत्र (Periphery) में निम्नलिखित तक कमरे रखने वाली होटल

a) 50 कमरों तक		
b) 51 से 100 कमरों तक		
c) 100 कमरों से अधिक		

**3. 1 एवं 2 के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में स्थित होटल**

a) 50 कमरों तक		
b) 51 से 100 कमरों तक		
c) 100 कमरों से अधिक		

<b>19</b>	<b>नियम 3 (8) के अन्तर्गत दस्तावेज :-</b>		
	<b>1. आवेदक/आवेदकों का/के मूल शपथ पत्र</b>		
	<b>2. आवेदकों, फर्म तथा कम्पनी के लिये कोई अभियोग दर्ज नहीं होकर विचाराधीन नहीं होने के संबंध में संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी प्रमाण पत्र:-</b>		
	A. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (विभागीय बकाया की टिप्पणी सहित)		
	B. जिला पुलिस अधीक्षक का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र		
	3. संबंधित जिला कार्यालय का आवेदक/फर्म/कम्पनी के विरुद्ध कोई बकाया तथा अभियोग नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र		
	4. आवेदक के व्यस्क होने तथा स्थायी निवास का दर्शाते दस्तावेज		

<b>20</b>	<b>प्रस्तावित बार का विवरण :-</b>		
	<b>1. बार परिसर में कहां स्थित होगा :-</b>		
	<b>2. कुल क्षेत्रफल</b>		
	<b>3. बैठक क्षमता</b>		

	4. एसी की व्यवस्था					
	5. महिलाओं एवं पुरुषों के लिये पृथक पृथक प्रसाधन व्यवस्था					
	6. स्टोर की उपलब्धता					
	7. काउन्टर की उपलब्धता					
21	उक्त होटल के प्रस्तावित बार हॉल के अतिरिक्त अन्य कोई रेस्टोरेन्ट हो तो उसके संबंध में विवरण					
	1. इसका कुल क्षेत्रफल					
	2. बैठक क्षमता					
	3. कुल टर्न ऑवर					
	4. प्रस्तावित मानचित्र में इसका चिह्निकरण					
22	<u>आवेदन पत्र के साथ होटल बार अनुज्ञापत्र हेतु इसी वित्तीय वर्ष में निम्नांकित राशि राजकोष में जमा होने के चालान की प्रति:-</u>					
	विवरण	देय शुल्क	जमा शुल्क	जीआरएन नम्बर	दिनांक	चालान प्रति (सी)
	1. आवेदन शुल्क	10				
	2. अनुज्ञा शुल्क का 10 प्रतिशत					
	कुल					
23	प्रस्तावित टिन नम्बर					
24	प्रस्तावित पेन नम्बर					
25	अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं विवरण					
26	इकाई के लिये जारी व वर्तमान में नवीनीकृत खाद्य अनुज्ञापत्र की सत्यापित छायाप्रति					

**दिनांकः—**

### स्थानः—

(आवेदक के हस्ताक्षर)

श्रीमान् आयुक्त महोदय,  
आबकारी विभाग, राजस्थान,  
उदयपुर।

द्वारा :— श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी,

विषय :— नाम इकाई.....पता.....  
..... (लाईसेंस फीस अनुसार अवस्थित) .....  
को वर्ष 2021–22 के लिये होटल बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

होटल बार अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने हेतु निर्धारित चैक लिस्ट के समस्त बिंदुओं की पूर्ण पूर्ति करते हुए इससे संबंधित दस्तावेजों पर पेज नम्बर के अंकन सहित आपके कार्यालय में तीन प्रति में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

उपरोक्त सूचनाओं में कोई भी तथ्य भ्रामक अथवा असत्य पाये जाने पर विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कृपया मेरे प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार कार्यवाही करावें।

संलग्न :— चैक लिस्ट

(हस्ताक्षर / आवेदक)

पूरा नाम—  
पिता/पति का नाम—  
स्थाई निवास का पता—

मोबाईल नम्बर/दूरभाष नम्बर

ई—मेल पता.